

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठाधीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

गिननं = 468 / 2025

1. राजदीप सिंह } पि० केवल सिंह जाति जटशिख निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी
2. रसदीप सिंह } जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादीगण

1. केवलसिंह पुत्र चन्द्र सिंह (चन्द्रसिंह) जाति जटशिख निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. संदीप कौर पुत्री केवलसिंह जाति जटशिख निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

डिक्री

दिनांक 8/12/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- प्रतिवादी सं० 1 केवलसिंह के नाम से चकनं० 10 एजीए खाता सं० 14/14 में कुल 0.949 है० में 1/3 हिस्सा, चक नं० 10 एजी के खाता सं० 96/91 में कुल 4.250 है० में 253/4250 हिस्सा, चकनं० 10 एजी के खाता सं० 20/21 में कुल 3.492 है० में से 1/3 हिस्सा, चकनं० 8 आर डबल्यू डी के खाता सं० 13/11 में कुल 3.162 है० में 1/3 हिस्सा, चकनं० 8 आर डबल्यू डी ए के खाता सं० 40/34 में कुल 1.012 है० में 197/10120 हिस्सा, चकनं० 8 आर. डबल्यू डी.ए. के खाता सं० 9/6 में 2.783 है० में 1/3 हिस्सा आराजी के वादीगण ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व चकनं० 10 एजीए खाता सं० 14/14, चक नं० 10 एजी के खाता सं० 96/91, चकनं० 10 एजी के खाता सं० 20/21, चकनं० 8 आर डबल्यू डी के खाता सं० 13/11, चकनं० 8 आर डबल्यू डी ए के खाता सं० 40/34, चकनं० 8 आर. डबल्यू डी.ए. के खाता सं० 9/6 में से केवलसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सत्यनारायण आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।